

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 981/14
 संस्थापन दिनांक:-16/12/14
 फाईलिंग नं. 233504002332014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

अनिल पिता लखन कवड़े
 उम्र 26 वर्ष, निवासी बरसाली,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 23.12.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 03.11.2014 को समय रात 08:00 बजे या उसके लगभग नान्हीबाई के घर के सामने बरसाली ढाना थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी सुमरत कुमरे और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी सुमरत कुमरे को डंडे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 03.11.2014 को शोभाराम उइके के साथ गांव के भिक्कू के घर जा रहा था। रात करीब 8 बजे वह जैसे ही नान्हीबाई के घर के पास पहुंचा तभी अभियुक्त शराब पीकर आया और उसे मादरचोद यहां क्यों आया है कहकर उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा। फरियादी द्वारा अभियुक्त को गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसे डण्डे से मारपीट किया जिससे उसे बांये तरफ गर्दन में, बायी कनपटी के उपर, दाहिने हाथ के अंगूठे की जड़ पर चोट आयी। अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अपराध क्र. 938/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त से एक बांस की लाठी जप्त कर जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक

बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी सुमरत कुमरे और अन्य को क्षोभ कारित ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सुमरत कुमरे को डंडे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 03 का निराकरण

5 सुमरत (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसे अभियुक्त ने घटना के समय उसे मादरचोद यहां क्यों आया है कहकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी थी। साक्षी शोभाराम (अ.सा.-4) ने प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी को मादरचोद की गाली देकर कहा था कि मादरचोद तू अगर दिखेगा तो तुझे मारूंगा। इसके अतिरिक्त इस संबंध में अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन परीक्षण में कोई कथन नहीं किये हैं। साक्षी/फरियादी सुमरत एवं शोभाराम (अ.सा.-4) ने जो शब्द न्यायालय में बताये हैं वे शब्द ग्रामीण परिवेश में सामान्यतः बिना उनके शाब्दिक अर्थ के मात्र क्रोध प्रकट करने के लिए उच्चारित किये जाते हैं जिन्हें भले ही नैतिकता के विरुद्ध माना जाता हो किंतु अभियुक्त एवं फरियादी के ग्रामीण परिवेश को देखते हुए धारा 294 भा.दं.सं. के अर्थ में अश्लील नहीं माना जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224** अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त

नहीं है। फलतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

6 सुमरत (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इस संबंध में साक्षी शोभाराम (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी को मादरचोद की गाली देकर कहा था कि मादरचोद तू अगर दिखेगा तो तुझे मारुंगा। इसके अतिरिक्त इस संबंध में अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन परीक्षण में कोई कथन नहीं किये हैं।

7 यद्यपि फरियादी सुमरत (अ.सा.-3) ने घटना के समय अभियुक्त द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु अभियुक्त द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त का उसके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्त के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

8 सुमरत कुमरे (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त अनिल ने उसे रॉड से मारपीट किया था जिससे उसे बांये कनपटी के उपर, दाहिने हाथ के अंगूठे में चोट आयी थी। शोभाराम (अ.सा.-4) ने यह प्रकट किया है कि अभियुक्त अनिल ने सुमरत को रॉड से मारपीट किया था फिर उसे बैतूल अस्पताल में भरती किये थे।

9 डॉ. रूपेश पदमाकर (अ.सा.-8) ने दिनांक 07.11.2014 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत सुमरत का चिकित्सकीय परीक्षण करना प्रकट करते हुए आहत के सिर पर सामने की ओर बांयी तरफ 4 गुणा 2 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव एवं दाहिने हाथ पर अंगूठे एवं दूसरी अंगुली के बीच में 3 गुणा 0.5 सेमी. आकार का कटा हुआ घाव तथा आहत के गले पर बांयी ओर 7 गुणा 5 सेमी. आकार की सूजन तथा आहत की बांयी ऐड़ी पर बाहरी ओर 2 गुणा 3 सेमी. आकार की खरोच का निशान पाया था। साक्षी ने उसके द्वारा दिया गया चिकित्सकीय प्रतिवेदन (प्रदर्श प्री-7) को प्रमाणित भी किया है।

10 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-2) ने दिनांक 10.11.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत सुमरत का परीक्षण किये जाने पर आहत के गर्दन के बांये तरफ 5 गुणा 3 सेमी. की सूजन एवं माथे के बांये तरफ 2 गुणा 1 सेमी. की खरोच का निशान तथा अग्र

भुजा एवं कलाई की जोड़ पर 4 गुणा 3 सेमी. आकार की सूजन तथा आहत के दाहिने हाथ के अंगूठे एवं तर्जनी के बीच में 2 गुणा 1 सेमी. आकार का आधा हीलिंग भरा हुआ घाव पाया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि आहत को गर्दन में दर्द के साथ गर्दन घुमाने में परेशानी हो रही थी तथा आहत के कान में कम सुनायी दे रहा था। साक्षी ने आहत को आयी सभी चोटें कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए चिकित्सकीय प्रतिवेदन (प्रदर्श प्री-2) को प्रमाणित भी किया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी तथा डॉ. रूपेश पदमाकर (अ.सा.-8) एवं फरियादी सुमरत (अ.सा.-3) तथा शोभाराम (अ.सा.-4) के कथनों से फरियादी को बताये गये स्थान पर चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

11 डी.एस. पठारिया (अ.सा.-6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 10.11.2014 को थाना आमला में एएसआई के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क. 238/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर मौका नकशा (प्रदर्श प्री-4) तैयार किया जाना एवं दिनांक 02.12.2014 को अभियुक्त से एक बांस की लाठी जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-5) तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-6) तैयार किया जाना बताया है।

12 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया गया है। साक्षी शोभाराम फरियादी के परिवार का होकर हितबद्ध साक्षी है। तब ऐसी स्थिति में अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन के मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

13 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में गोमाजी (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि उसे घटना के समय सुमरत (अ.सा.-3) के चिल्लाने की आवाज आयी थी परंतु उसने किसी को मारते हुए नहीं देखा। रूपेश (अ.सा.-5) एवं शिवपालसिंह धुर्वे (अ.सा.-7) ने अपने समक्ष अभियुक्त से जप्ती एवं गिरफ्तारी न किया जाना प्रकट करते हुए जप्ती एवं गिरफ्तारी पत्रक पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं परंतु ग्रामीण परिवेश में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति किसी के पक्ष या विपक्ष में गवाही देने से बचता है। ऐसी स्थिति में मात्र उपर्युक्त साक्षीगण द्वारा अभियोजन का समर्थन न किये जाने से संपूर्ण अभियोजन का मामला धराशायी नहीं हो जाता है।

14 सुमरत कुमरे (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना दिनांक को शोभाराम (अ.सा.-4) के साथ गांव के भिक्कू के घर जा रहा था और जैसे ही वे नान्हीबाई के घर के पास पहुंचे तो अभियुक्त अनिल ने उसके साथ रॉड से मारपीट किया जिससे उसे बांयी कनपटी के उपर एवं

दाहिने हाथ की अंगूली में चोट आयी तथा घटना का बीच बचाव शोभाराम एवं गोमा ने किया था। शोभाराम (अ.सा.-4) ने उपर्युक्त साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि अभियुक्त ने सुमरत के साथ रॉड से मारपीट की थी तथा सुमरत को जिला अस्पताल बैतूल में ईलाज के लिए भरती किया गया था।

15 सुमरत (अ.सा.-3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव के इस सुझाव से इनकार किया है कि अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी। शोभाराम (अ.सा.-4) ने भी प्रतिपरीक्षण में बचाव के इस सुझाव को गलत बताया है कि वह सुनी सुनायी बात बता रहा है। साक्षी ने स्वतः में यह कहा है कि उसने मारपीट करते हुए देखा था। इस प्रकार दोनों साक्षी अभियुक्त द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य पर स्थिर हैं।

16 बचाव अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रकरण में फरियादी के द्वारा अत्यन्त विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करायी गयी है जिससे अभियोजन कथा संदेहास्पद हो जाती है। बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) के अवलोकन से यह दर्शित है कि घटना दिनांक 03.11.2014 की रात के 8 बजे की है तथा घटना की रिपोर्ट थाने में दिनांक 10.11.2014 को 05:50 बजे की गयी है परंतु इस संबंध में फरियादी सुमरत कुमरे (अ.सा.-3) के द्वारा यह बताया गया है कि उसने रिपोर्ट लिखाने में एक सप्ताह का विलंब इसलिए किया क्योंकि वह अस्पताल में था। डॉ. साक्षी रूपेश पदमाकर (अ.सा.-8) ने भी अपने कथनों में यह प्रकट किया है कि दिनांक 04.11.2014 को आहत सुमरत कुमरे को मेल सर्जिकल वार्ड में भरती किया गया था तथा दिनांक 07.11.2014 को उसका परीक्षण किया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि घटना के तत्काल पश्चात साक्षी सीधे जिला चिकित्सालय बैतूल में भरती हो गया था एवं डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-2) ने दिनांक 10.11.2014 को आहत के परीक्षण में यह अभिमत प्रकट किया है कि आहत को आयी चोटें लगभग 5 से 7 दिन के भीतर की संभावित है। अतः ऐसी स्थिति में फरियादी द्वारा विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करायी जाना अभियोजन कथा के लिए घातक नहीं है। साथ ही आहत को आयी चोटें चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्ट हैं। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त द्वारा घटना के समय फरियादी सुमरत के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गयी थी।

17 अभियुक्त के द्वारा एकदम से आकर फरियादी सुमरत (अ.सा.-3) के साथ मारपीट किया जाना, उसके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्त को प्रकोपन दिया गया हो।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

18 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी सुमरत कुमरे और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सुमरत कुमरे को डंडे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त अनिल को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 323 भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

19 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

20 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

21 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ मारपीट कर उसे उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

22 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में आरोपी एवं फरियादी एक ही ग्राम के निवासी हैं एवं घटना में फरियादी को साधारण प्रकृति की चोट आना प्रमाणित हुई है। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त को केवल अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्त को धारा 323 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1,000/-रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उसे 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

23 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की राशि में से 800/-रुपये आहत सुमरत पिता मनकलाल कुमारे निवासी बरसाली थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात् प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

24 प्रकरण में जप्त एक बांस की लाठी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

25 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

26 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)